

सलमान खुर्शीद

सच्चर रिपोर्ट में कहे गए झ्ठ के बारे में कुछ सरल सवाल

जो भूतपूर्व आईपीएस राम कुमार ओहरी और जयप्रकाश शर्मा (दो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी) की पुस्तक 'द मेजोरिटी रिपोर्ट' में उठाए गए.





क्यों और कै से न्यायाधीश सच्चर ने पूर्व में ही 1988-89 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 2 में स्थापित सत्य की अनदेखी की जिसमें कहा गया था कि 4 महत्वपूर्ण मानव संकेतकों में मुस्लिम हिन्दुओं की तुलना में बेहतर स्थिति में थे-

- शिशु मृत्यु दर की घटना (यानी 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे)
- **बाल मृत्यु दर की घटना** (यानी 1 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चे)
- शहरीकरण का प्रतिशत और
- जन्म के समय जीवन प्रत्याशा











जस्टिस सच्चर ने यह तथ्य क्यों अनदेखा किया कि मुस्लिम जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में कहीं आगे हैं? 1988-89 में भी वे हिन्दुओं से आगे थे.






विश्वभर के अर्थशास्त्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) स्वीकार करते हैं कि उच्च जीवन प्रत्याशा बेहतर भोजन के सेवन और चिकित्सा देखभाल का संकेत देती है.




शैक्षिक भिन्नता





आर्थिक स्थिति के बारे में आँकड़े

नवम्बर 2006 में प्रधानमंत्री को जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध थे. उन्हें जस्टिस सच्चर और सलमान खुर्शीद द्वारा क्यों अनदेखा किया गया?



स्त्रोतः भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में 2 सितम्बर 2006 को एक सेमिनार में ''सोशल एंड इकॉनोमिक स्टेटस एंड पब्लिक परसेप्शन ऑफ मुस्लिम'' शीर्षक से प्रचारित अपने संगोष्ठी पत्र (सेमिनार पेपर) में प्रो. संजय कुमार द्वारा उल्लेखित सेंटर फॉर डेवलिंग सोसायटी द्वारा सम्पन्न नेशनल इलेक्शन स्टडीज़ सर्वे, 2004.





जस्टिस सच्चर और सलमान खुर्शीद ने इन तथ्यों की उपेक्षा क्यों की...

- 2005-2006 में सम्पन्न राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के जाँच परिणाम, जिनसे पता चलता है कि 1998 से 2005 के मध्य 7 वर्षों में हिन्दुओं की अपेक्षा मुस्लिमों की जीवन प्रत्याशा में एक बड़े परिमाण में वृद्धि हुई थी.
- यदि मुस्लिम हिन्दुओं से ज़्यादा वंचित थे तो 7 वर्षों के छोटे समयांतराल में ही मुस्लिमों की जीवन प्रत्याशा में हिन्दुओं की अपेक्षा एक बड़े परिमाण में वृद्धि कैसे हुई ?
- सार्वजिनक क्षेत्र में इन तथ्यों की जानकारी के बाद भी जिस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में इस झूठ को जगह क्यों दी ?
- क्या यह धोखाधड़ी 9 दिसंबर, 2006 (सोनिया गाधी का जन्मदिन) को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नीति-वक्तव्य को सही ठहराने के लिए की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर पहला हक होगा.





जस्टिस सच्चर ने भारतीय जनता को धोखा क्यों दिया?

- दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने इस हास्यास्पद सिद्धांत का अविष्कार और प्रचार क्यों किया कि 'मुस्लिमों में कम शिशु मृत्यु दर, कम बाल मृत्यु दर, उच्च जीवन प्रत्याशा' 'मुस्लिमों में शिशु को दूध पिलाने और देखभाल की बेहतर आदत' के कारण हो सकती है जैसा कि सच्चर रिपोर्ट के पेज नं. 38 पर दावा किया गया है. क्या बहाना है?
- यदि सब-सहारन देशों में उच्च शिशु मृत्यु दर, उच्च बाल मृत्यु दर और कम जीवन प्रत्याशा विश्वभर के अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक अभाव के रूप में पहचानी जाती है तो भारत के हिन्दुओं और मुस्लिमों में इस अभाव को आँकने के लिए भी वही मापदण्ड लागू क्यों नहीं होता?





सलमान खुर्शीद सबसे गरीब हिन्दुओं की उपेक्षा क्यों करते हैं?

- क्लेरीजेस होटल में 24-25 अक्टूबर, 2011 को योजना आयोग और सयुंक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सेमिनार में प्रस्तुत अपने शोध अध्ययन में प्रो. सुखदेव थोराट और अमरेश पांडेय द्वारा 2004-05 और 2009-10 के मध्य मुस्लिमों में हिन्दुओं की अपेक्षा गरीबी में उल्लेखनीय कमी को विशेष रूप से रेखांकित किया गया. इन शोधार्थियों द्वारा धार्मिक समुदायों में पाई गई गरीबी में कमी निम्नानुसार है-
 - मुस्लिमों में 7.6%
 - अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों (ओआरएम) में 7.2%
 - उच्च जाति के हिन्दुओं में 4.5%
 - अनुसूचित जनजाति में 5.2%
 - अनुसूचित जाति में 4.2%
- सलमान खुर्शीद, जिस्टिस सच्चर और एनएसी के सदस्यों को यह जरुर समझना चाहिए कि क्यों सबसे गरीब 34-35 करोड़ हिन्दुओं की बेटियाँ और बेटे जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं (प्रो. तेंदुलकर की रिपोर्ट मानदंडों के अनुसार अनुमानित) उन्हें मुस्लिमों और 4 अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को दी गई 20 लाख छात्रवृत्तियों में हिस्सेदारी से वंचित रखा गया है. उक्त रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि 37.2% भारतीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं. (लगभग 35 करोड़ बीपीएल हिन्दू).







जस्टिस सच्चर और सलमान खुर्शीद ने क्यों अनदेखा किया

- कि 13 राज़्यों और यूटीज़ (केन्द्र शासित प्रदेश) में मुस्लिमों की साक्षरता दर हिन्दुओं से ज़्यादा है जैसा कि 2001 की जनगणना से स्पष्ट है और सच्चर रिपोर्ट में भी स्वीकृत है.
- पुनः 13 राज़्यों और यूटीज़ (केन्द्र शासित प्रदेश) में मुस्लिमों में महिला साक्षरता दर हिन्दुओं की तुलना में ज़्यादा है
- इन 13 राज्यों में जहाँ हिन्दू लड़िकयों की महिला साक्षरता मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी या सिख्ख लड़िकयों के मुकाबले काफी कम थी तथापि न कोई नि:शुल्क छात्रवृत्ति, न सस्ते शैक्षणिक या उद्यम सम्बंधी ऋण किसी भी हिन्दू को या हिन्दू लड़िकी को दिए गए. क्यों?







जस्टिस सच्चर और सलमान खुर्शीद को स्पष्ट करना चाहिए कि...

- क्या भारतीय संविधान 20 लाख छात्रवृत्ति और शैक्षिक ऋण सिर्फ पाँच धार्मिक समुदायों को देने की स्वीकृति देता है और गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले 34 करोड़ हिन्दुओं के असहाय बच्चों को इन फायदों को देने से इंकार करता है ? वह भी सिर्फ धार्मिक आधार पर ?
- 2012-13 बजट में मुस्लिम और 4 अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की कक्षा 9 से 11 में पढ़ने वाली छात्राओं को नि:शुल्क साइकिलें देने के लिए रु. 4.5 करोड़ का प्रावधान बनाया गया था. यह फ़ायदा हिन्दू लड़िकयों को क्यों नहीं दिया गया? क्या यह भेदभाव युवाओं के बीच मनमुटाव और घृणा पैदा नहीं करेगा, जिन्हें साइकिलें देने से इन्कार कर दिया गया?
- सिर्फ़ मुस्लिम और 4 अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए ब्याज में छूट देने के लिए एनएसी के सदस्यों द्वारा तैयार एक योजना शुरू की गई है. यह भेदभाव हिन्दू छात्रों के साथ क्यों?
- हिन्दू छात्रों के साथ इस तरह का अन्याय क्या बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के बीच असंतोष और घृणा का कारण नहीं होगा?
- संविधान के उल्लंघन में हिन्दू युवाओं के समानता के अधिकार का इस तरह कुचल दिया जाना क्या आपके अन्तः करण को नहीं चुभता या संप्रग अध्यक्ष की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सम्पन्न सदस्यों की मानसिक शांति को भंग नहीं करता?





सलमान खुर्शीद और एनएसी के सदस्यों को स्पष्ट करना चाहिए कि ...

- नेतृत्व विकास में प्रशिक्षित करने के लिए मुस्लिम महिलाओं और 4 अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की लड़िकयों के लिए जून, 1913 में एक नई योजना 'नई राहत' नाम से शुरू की गई. क्या अल्पसंख्यक मामलों के भूतपूर्व मंत्री समझाएँगे कि क्यों सिर्फ़ हिन्दू लड़िकयों / महिलाओं को इस लाभदायक योजना से बाहर रखा गया है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा अनुमोदित 'नई राहत' योजना की खबर का प्रकाशन 'द पायोनियर', नई दिल्ली में 6 जून, 2013 को किया गया.
- हिन्दू लड़िकयों को समान अवसर दिए जाने से सोचा-समझा इन्कार क्या उनके खिलाफ सकल भेदभाव और उनके समानता के अधिकार के स्पष्ट उल्लंघन का एक और उदाहरण नहीं है? क्या संविधान केवल धर्म के आधार पर सरकार को नागरिकों के बीच भेदभाव करने की अनुमित देता है?
- सार्वजिनक क्षेत्र में उपलब्ध आँकड़े निर्णायक रूप से सिद्ध करते हैं कि 4 अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख पाँच प्रमुख मानव विकास सूचकांक में हिन्दुओं से कहीं आगे हैं, वे हिन्दुओं से बेहतर पोषित और ज़्यादा शिक्षित हैं. इन 4 ज़्यादा विकसित और अधिक सम्पन्न अल्पसंख्यक समुदायों की लड़िकयाँ, लगभग 35 करोड़ हिन्दू (les misearables) जो अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में झुग्गियों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी लड़िकयों से ज़्यादा वंचित क्यों समझी जाती हैं?






हिन्दुओं को सलमान खुर्शीद और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सम्पन्न सदस्यों से स्पष्टीकरण माँगना चाहिए कि ...

- उन लगभग 34-35 करोड़ हिन्दुओं (गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले) की मासूम बेटियों और बेटों की क्षितिपूर्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए जिन्हें गलत और झूठ से भरी सच्चर रिपोर्ट के आधार पर पिछले 6 सालों से 20 लाख छात्रवृत्तियों और सस्ते शैक्षिक और उद्यम सम्बंधी ऋण की सुविधा से कुटिलतापूर्वक वंचित रखा गया है?
- गरीबी रेखा के नीचे रह रहे गरीबों से गरीब भारतीयों से सिर्फ़ धार्मिक आधार पर इस विशाल धोखाधड़ी के लिए ज़िम्मेदार लोगों को क्या दंड दिया जाना चाहिए?
- 5 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जिनमें भारतीय जनसंख्या का सिर्फ़ 20% शामिल है, पिछले 6 सालों के दौरान 20 लाख छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई. हिन्दुओं की क्षतिपूर्ति के लिए क्या यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगा कि बहुसंख्यक समुदाय जिनमें देश की जनसंख्या का 80% शामिल है, उसके सबसे गरीब बच्चों को 80 लाख छात्रवृत्तियां दे पाएँ? राजनीतिक रूप से उपेक्षित इस बहुसंख्यक समुदाय के साथ हुए इस घोर अन्याय को कौन बदल पाएगा?

एक अनुरोध और प्रार्थना, हमारे होठों पर....


स्पष्ट तथ्यों को साहसपूर्वक एक साथ रखने के लिए एक प्रयास किया गया है. हम उम्मीद करते हैं कि यह सच्चे तथ्य अपने लिए खुद बोलेंगे और सच्चर रिपोर्ट के झूठ का पर्दाफाश कर देंगे. जनचर्चा के दौरान स्पष्टीकरण की पेशकश एवं ज़्यादा जानकारी प्रदान करने के लिए हम हर समय उपलब्ध हैं.

डा. प्रफुल्ल गोराडिया डा. सुब्रमण्यम स्वामी



राम कुमार ओहरी जयप्रकाश शर्मा

राम कुमार ओहरी और जयप्रकाश शर्मा



समय आ गया है आगे आएँ और सबसे गरीब हिन्दओं से किए गए भेदभाव के खिलाफ विरोध करें

धन्यवाद

Presentation by Ram Kumar Ohri, IPS (Retd.) Jai Prakash Sharma, IPS (Retd.)

Designed by
CARRIED
CENTER FOR ADVANCED RESEARCH,
REFERENCE, INFORMATION &
ENHANCED DOCUMENTATION

Phone +91-11-2984-2070,

Fax: +91-11-2984-2546

Post Box No – 7312, New Delhi - 110065, Bharat